

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

डॉ० महेन्द्र पाल, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

ई-मेल

सेवा में,

सभी समाहर्ता,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-01/06/2026

विषय :- ई-मापी हेतु लंबित मामलों के निष्पादन हेतु अंचल में पदस्थापित अमीन को प्रतिनियुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग स्तर पर ई-मापी हेतु लंबित मामलों की समीक्षा की गयी, समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि ई-मापी हेतु लंबित मामलों की संख्या कुछेक अंचलों में अत्यधिक तथा कुछेक अंचलों में बहुत ही कम है। ई-मापी के लंबित सभी मामलों को यथाशीघ्र निष्पादन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव अनुरोध है कि अपने जिलान्तर्गत वैसे अंचल जहाँ ई-मापी के बहुत ही कम मामले लंबित हैं, वैसे कार्यालय में पदस्थापित अमीन को ई-मापी से संबंधित अत्यधिक लंबित मामले वाले अंचलों में प्रतिनियुक्त किया जाए, ताकि ई-मापी हेतु लंबित मामलों को यथाशीघ्र निपटारा किया जा सके।

विश्वासभाजन,

(डॉ० महेन्द्र पाल)
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

डॉ० महेन्द्र पाल, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

ई-मेल

सेवा में,

सभी समाहर्ता,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :- ई-मापी हेतु लंबित मामलों के निष्पादन हेतु अंचल में पदस्थापित अमीन को प्रतिनियुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग स्तर पर ई-मापी हेतु लंबित मामलों की समीक्षा की गयी, समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि ई-मापी हेतु लंबित मामलों की संख्या कुछेक अंचलों में अत्यधिक तथा कुछेक अंचलों में बहुत ही कम है। ई-मापी के लंबित सभी मामलों को यथाशीघ्र निष्पादन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव अनुरोध है कि अपने जिलान्तर्गत वैसे अंचल जहाँ ई-मापी के बहुत ही कम मामले लंबित हैं, वैसे कार्यालय में पदस्थापित अमीन को ई-मापी से संबंधित अत्यधिक लंबित मामले वाले अंचलों में प्रतिनियुक्त किया जाए, ताकि ई-मापी हेतु लंबित मामलों को यथाशीघ्र निपटारा किया जा सके।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(डॉ० महेन्द्र पाल)

सरकार के अपर सचिव।

ई-मेल

ज्ञापांक-04/क्षे०स्था० विविध पत्राचार-03-04/2022-²⁰⁵...../रा0, पटना-15, दिनांक-01/06/2026

प्रतिलिपि :-सभी अपर समाहर्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० महेन्द्र पाल)

सरकार के अपर सचिव।